मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोनः 0755- 2430154, 2463585, **फैक्सः–** 0755–4004137

ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांकःमप्रविनिआ / डी(टी) / 2023 / 2933 **दिनांक :28 / 12 / 2023**

सार्वजनिक सूचना

मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड) ने वित्तीय वर्ष 2022–23 (04 सितंबर 2022 तक) के लिए अपने 1 x 600, मेगावाट कोयला आधारित बिजली परियोजना के लिये, ग्राम बरेला, गोरखपुर जिला सिवनी मध्यप्रदेश में स्थित आयोग के 08.05.2021 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के लिए एक याचिका दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 व धारा 86 (1)(ए) के साथ पठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2020 के तहत दायर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 (04 सितंबर 2022 तक) के लिए आयोग के अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के उद्देश्य से पावर परियोजना की वार्षिक स्थायी लागत (ए.एफ.सी.) के दावे का विवरण निम्नानुसार है :

(रू. करोड़ में)

विवरण	आयोग के 08.05.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये एएफसी का अवधारण	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एएफसी का दावा	एएफसी का दावा 04 सितंबर 2022 तक
	अ	ब	स=बx(157/365)
पूंजी पर प्रतिलाभ	153.14	156.73	67.42
ऋण पूंजी पर ब्याज	237.02	251.29	108.09
अवमूल्यन / अवक्षयण	202.37	206.50	88.83
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	48.31	45.34	19.50
प्रचालन एवं संधारण व्यय	134.82	134.82	57.99
कम : गैर टैरिफ आय	0.11	0.00	0.00
शुद्ध वार्षिक स्थायी लागत (एएफसी)	**775.55**	**794.68**	**341.82**
पट्टे पर ली गई भूमि पर अप्राप्त मूल्यह्रास		0.29	0.29
कुल वार्षिक स्थायी लागत (एएफसी)		**794.97**	**342.11**
शुद्ध वार्षिक स्थायी लागत (स्थापित क्षमता के 30% के लिए)	**232.67**	**238.49**	**102.63**

आयोग ने याचिका स्वीकार कर इसे याचिका संख्या 61 / 2023 के रूप में दर्ज किया है ।

इस संदर्भ में आपत्ति / टिप्पणी / सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजो और साक्ष्यों की प्रतियों के साथ उनकी आपत्ति / टिप्पणी / सुझाव सीधे सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, ''मेट्रोप्लाजा'', पंचम तल, ई–5 अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को इस प्रकार भेज दें कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों** के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाएं । इसकी एक प्रति एजीएम व्यवसायिक, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड), इंजीनियरिंग कार्यालय काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल,

प्लाट नं 8 (अ), ब्लाक– अ सेक्टर 24, नोयडा उत्तरप्रदेश पिन– 201301 को भी भेज दें। आपत्तियों / टिप्पणियों / सुझावों की अग्रिम प्रति को फैक्स और ई–मेल से भी भेजा जा सकता है ।

इच्छुक व्यक्ति' याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोग कार्यालय या एजीएम व्यवसायिक, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड), इंजीनियरिंग कार्यालय काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, प्लाट नं 8 (अ), ब्लाक– अ सेक्टर 24, नोयडा उत्तरप्रदेश पिन– 201301 से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए रू. 200 नकद या एमपीईआरसी के नाम से भोपाल में देय या झाबुआ पावर लिमिटेड के नाम से गुरूग्राम में देय किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा। याचिका की प्रति रू. 50 अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक **13.02.2024** को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति / टिप्पणी / सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. भेजकर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा निंदेशों के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव